न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
प्रशासन गांवो के संग अभियान/कोर्ट कैम्प शिविर – बोयल
पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :– 34 /2020

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 सत्यनारायण 2 कुन्दनमल 3 रामेश्वर पिसरान श्री मांगीलाल जातिगण ब्राहमण नि0 छितरीया तहसील सोजत जिला पाली		1 पारसमल पुत्र लाबूराम जाति ब्राहमण नि0 छितरीया, तह0 सोजत, जिला पाली, (राज0) 2. तहसीलदार(भूमिधारक) सोजत।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री गजेन्द्र परिहार अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
2. श्री महेन्द्र चौधरी अधि0 अप्रार्थी उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक :– 08.10.2021

अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा छितरीया पटवार हल्का रून्दिया, तहसील सोजत में स्थित अप्रार्थीगण की कृषि जोत की भूमि ख0न0 263 की जोत में से नया मार्ग अपनी खातेदारी कृषि जोत भूमि खसरा संख्या 267 तक जाने हेतु आशय रखते है। प्रार्थीगण को अपनी भूमि खसरा नंबर 267 में आने–जाने अर्थात् आवागमन हेतु 20 फुट चौड़ा रास्ता अप्रार्थी के खसरा संख्या 263 में से प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी है। प्रार्थीगण के अपनी भूमि पर आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण नियमानुसार रास्ते की डी0एल0सी0 राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने राजस्व प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राज0 काश्त0 अधि0 धारा 1955 के अन्तर्गत मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर प्रा0 पत्र स्वीकार किये जाने तथा अप्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम छितरीया, प0ह0 रून्दिया, तह0 सोजत, जिला पाली राज0 की अप्रार्थीगण की कृषि जोत भूमि खसरा संख्या 263 में से 20 फुट चौड़ा रास्ता जो प्रा0 पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है, रास्ता घोषित किया जाकर प्रार्थीगण की खसराजात कृषि जोत भूमि खसरा नंबर 267 तक आने–जाने अर्थात् आवागमन रास्ता दिलाया जाने एवं रास्ते को राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री महेन्द्र कुमार चौधरी अधिवक्ता ने दिनांक 22.10.2020 को वकालतनामा तथा दिनांक 25.03.2021 को

अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर अंकित किया कि प्राथी ने प्रा0 पत्र में सरहद ग्राम छितरिया के खसरा नंबर 263 में से होकर खसरा नंबर 267 में आवागमन हेतु रास्ते की मांग करते हुए प्रा0 पत्र प्रा0 पत्र गलत एवं झूठे तथ्यों के आधार पर पेश किया गया हैं। प्रार्थी उक्त कृषि भूमि में प्रतिवर्ष काश्त करता रहता है, जिससे भी स्पष्ट है कि प्रार्थी का उक्त कृषि भूमि में आवागमन होता रहता है। प्रार्थी ने अपने प्रा0 पत्र में कई पर भी आवागमन नहीं होने के सम्बन्ध मे कोई कथन नहीं किये है। खसरा नंबर 263/2 के दक्षिणी माठ के सहारे सहारे खसरा नंबर 264, 265, 267 में आवागमन होता रहता है तथा उक्त कृषि भूमि के सभी काश्तकार उसका उपयोग उपभोग करते रहते है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को कतई अतिआवश्यकता रास्ते को लेकर नही होती है। विकल्प में प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन होता रहता है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र कतई चलने लायक नहीं है। विधिक प्रावधानों के अनसुार विकल्पेन रास्ता नहीं होने पर ही जारी किया जा सकता है। लेकिन प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में खसरा नंबर 263/2 की माठ के सहारे सहारे खसरा नंबर 264 से होकर खसरा नंबर 267 में आवागमन करते रहते है। जिससे प्रार्थी कतई और नया मार्ग की मांग नही कर सकता है, न ही नयामार्ग दिया जा सकता है। प्रार्थी अपनी खातेदारी कृषि भूमि की बाजारू कीमत बढानें के आशय से यह रास्ते की लेकर मांग की गई, जो कतई अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। प्रार्थी ने खसरा नंबर 263 की उतरी माठ के सहारे सहारे कदीमी रास्ता आवागमन हेतु चालु होना लिखा है तथा अप्रार्थी द्वारा नाजायज तरीके से बन्द करने के कथन अंकित किये हैं। ऐसी स्थिति में धारा 251क के प्रावधान कतई लागु नही होते है। यदि पूर्व में चालु रास्ते को किसी के द्वारा बंद कर दिया गया है तो उक्त रास्ते को खुलवाने की क्षेत्रकारिता सिविल न्यायालय को है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रा0 पत्र कतई चलने योग्य नहीं है। तहसीलदार, सोजत से प्रार्थित रास्ते, उपलब्ध वैकल्पिक/निकटतम रास्ते तथा सुविधा जनक उपयोग हेतु आवेदन किया गया है अथवा अत्यांतिक आवश्यकता है, के सम्बन्ध में बरूवे मौका रूबरू उभय पक्षकारान मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा चाही गई। पटवारी रून्दिया भू0अ0 निरीक्षक अटबड़ा मय तहसीलदार, सोजत द्वारा अपने पत्रांक राजस्व /2021/3982 दिनांक 08.10.2021 को प्रस्तुत मौका एवं वस्तुस्थिति रिपोर्ट सा0मि0 की गई।

पत्रावली आज दिनांक 08.10.2021 को प्रशासन गांवों क संग अभियान 2021 कोर्ट कैम्प शिविर ग्राम पंचायत बोयल मे प्रस्तुत हुई। बहस वकुलाय एवं उभय पक्षों का सुना गया। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने व्यक्त किया कि हस्ब प्रा0 पत्र एवं मौका रिपोर्टानुसार प्रार्थीगण को अपनी भूमि खसरा संख्या 267 में आवागमन हेतु 20 फुट चौड़ा रास्ता अप्रार्थी के खसरा संख्या 263 में से उसकी माठ के सहारे सहारे दिलवाया जाकर राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने की ईशदुआ की है। **तहसीलदार सोजत द्वारा सम्बन्धित पटवारी, भू0अभि0निरी0 अटबड़ा द्वारा तैयार फर्द मौका रूबरू प्रार्थी पक्षकार एवं मौतबिरान तैयार** मौका की वस्तुस्थिति रिपोर्ट **मय नजरी नक्शा पेश कर अंकित किया** कि दिनांक 06'.08. 2021 को न्यायालय हाजा में विचाराधीन उक्त रास्ते के प्रकण 34/2020 में वादी

सत्यनारायण पुत्र कुन्दनमल वगेरह एवं प्रतिवादी पारसमल पुत्र लाबुराम वगेरह में ग्राम छितरीया ख0न0 प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 267 में आवागमन हेतु रास्ता के सम्बन्ध में मौतबिरान रूबरू मौके पर पहुँचे। खसरा नंबर 267 पर पहुंच के लिए वर्तमान में मौके पर किसी प्रकार का रास्ता मौजूद नहीं है। उक्त खसरे पर पहुच का निकटतम मार्ग खसरा नम्बर 263 की उतरी माठ के सहारे ही है। जिसकी लम्बाई 170 मीटर एवं चौडाई 4 मीटर है। जो खसरा नम्बर 278 रास्ता से जुडता है। उक्त प्रस्तातिव रास्ते के बीच में 13 वर्ष खेजडी के है जो लगभग 10 से 15 वर्ष पुराने है। उक्त भूमि की डीएलसी दर तहसीलदार सोजत ने 136890 प्रति हैक्टर होना अंकित की है। उक्त खसरा नम्बर 263 रकबा में सें रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि 170 गुणा 4 से 0.0680 हैक्टर बनता है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, उभयपक्षों को सुना गया तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जबाब प्रार्थना पत्र पटवारी हल्का रून्दिया, भू0अ0निरीक्षक, अटबडा एवं तहसीलदार सोजत द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं राजस्व रेकर्ड का गहनता से अध्ययन किया गया। ''यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार ''1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नही है और 2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है,।'' चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी जोत में पहूँच हेतु सुविधाजनक मार्ग हेतु आवेदन किया जाना परिलक्षित नहीं होकर तहसीलदार, सोजत भू0अ0निरी0 अटबड़ा, पटवारी हल्का की रिपोर्टानुसार प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से उक्तानुसार रास्ता दिलवाया जाना अत्यांतिक आवश्यक है, जबकि निकटतम मार्ग खसरा नम्बर 263 में से होकर पाया जाता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण न्यायालय के समक्ष Clean Hand से उपस्थित हुए है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के Mandatory Provision को पूर्ण करने तथा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्तानुसार देय प्रतिकर की दोगुणा भूमि रास्ता प्रयोजनार्थ दिलवाया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त विवेचना/विश्लेषणानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा छितरीया, पटवार हल्का रून्दिया, तह0 सोजत जिला पाली के खसरा नंबर 267 रकबा 0.8200 है0 किस्म बा0अ0 की भूमि में आवागमन हेतु (आने जाने के रास्ते हेतु) अप्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ख0न0 263 में से रकबा 1.5300 हैक्टर बा0अ0 की उतरी माठ के सहारे लाल स्याही से दर्शाये (170 मी0 X 04 मी0 अर्थात् 0.0680 है0) की 136890 रू0 प्रति हैक्टर की दर से दोगुणा 18617/–रूपयें भूमि प्रतिकर देय राशि का भुगतान

प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी को जरिए डीडी भुगतान तहसीलदार, सोजत के मार्फत करवाये जाने पर रास्ते की भूमि उपलब्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तदानुसार राजस्व रेकर्ड/नक्शा में अमल दरामल/तरमीम किया जावें। उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। तहसीलदार, सोजत स्तर पर उक्त आदेश की पालना अर्थात प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जावें। निर्णय की प्रति व मौका रिर्पोट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये एवं इनकी प्रति तहसीलदार, सोजत को भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जागिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021
शिविर – बोयल

यह निर्णय आज दिनांक 08.10.2021 को सरे ईजलास प्रशासन गांवो के संग अभियान/कोर्ट कैम्प, शिविर केन्द्र बोयल में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जागिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021
शिविर – बोयल